जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति | दिनांक 01.04.2021

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 240 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब अरूणचल प्रदेश मार्का बरामद।

आज दिनांक 01.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम झाल से 240 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- रामवीर पुत्र नकली गिरी निवासी झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का 240 पव्वे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री जवाहरलाल तौमर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2- का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3- का0 राहुल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तलवार बरामद ।</u>

दिनांक 31.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सैनी चौक से 01 अभियुक्त को अवैध तलवार के साथ गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1-आरिफ पुत्र रोजुद्दीन निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध तलवार ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री शिवराम सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
2. का0 महताब अली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में 06 वारण्टी किये गिरफ्तार।

दिनांक 31.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दबिश के कार्यवाही करते हुए 06 वारंटियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. कृतदेव आर्य उर्फ कार्तिक पुत्र पवन देव निवासी कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. रामपाल पुत्र जिले सिंह निवासी याहियापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. कृष्णपाल पुत्र कीरथ सिंह निवासी याहियापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. सोनू पुत्र जयपाल निवासी याहियापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. बकशीश सिंह पुत्र गुरूवचन निवासी याहियापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. महावीर पुत्र गिरधारी निवासी लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री वीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

3- का0 सनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4- का0 आलोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5- का0 अर्जुन त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

6- का0 अमित शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 45 लीटर लहन एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद।</u>

आज दिनांक 01.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण/बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम खानपुर जाटान में अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी करते हुए अवैध शराब के निर्माण में लिप्त 01 अभियुक्तों को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके पर मिले 45 लीटर लहन को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मोहित पुत्र बदली निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।

2- कच्ची शराब बनाने के उपकरण (02 बड़े पतीले, 01 बड़ा भगोना, 01 प्लेट स्टील, 01 पाईप रबर)।

3- नष्ट कराया गया 45 लीटर लहन।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- है0का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3- का0 सनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4- का0 दीपांशु गुप्ता थाना झिंझाना जनपद शामली।

5- का0 सचिन त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम रामपुर खेडी के धीरज की हत्या का किया सफल अनावरण, 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल हथियार बरामद ।

दिनांक 29.03.2021 को ग्राम रामपुर खेडी थाना कांधला निवासी धीरज को उसके दो दोस्त अंकित गिरी व सोनू गिरी घर से बुलाकर ले गये थे, जिसके उपरान्त धीरज घर नही लौटा तो परिजन द्वारा तलाश किया गया। धीरज के न मिलने पर दिनांक 30.03.2021 को थाना कांधला पर परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी के संबंध में थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से जांच शुरू की गयी, जिसमे सर्विलांस टीम की मदद से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर सोनू व राजन को हिरासत में लेकर धीरज के संबंध में जानकारी की गयी। कड़ाई से पुछ ताछ करने पे उनके द्वारा सोनू की हत्या किये जाने की बात बताई गई। इस क्रम में दोनों को हत्या कारित करने के स्थान पर ले जाकर मृतक धीरज की तलाश की गयी। तलाशी करने के दौरान ग्राम रामपुर खेडी के शमशान में अधजली हालत में धीरज का शव बरामद हुआ। जिसकी पहचान मौके पर पहुंचे परिजनो द्वारा की गयी। मौके से बरामद शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया।

दिनांक 31.03.2021 मृतक के भाई नीरज कुमार पुत्र रामदास निवासी रामपुर खेडी की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में हिरासत में लिये गये सोनू व राजन की निशादेही पर मृतके के शव की बरामदगी एवं सर्विलांस की मदद से जुटाए गये साक्ष्य के आधार पर धीरज की हत्या किये जाने में शामिल रहे धीरज के दो मित्र सोनू व राजन को आज दिनांक 01.04.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा इस घटना में शामिल इनका साथी अंकित गिरी फरार है, जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु थाना कांधला एवं एस0ओ0जी टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व एक अवैध चाकू बरामद कराया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तार एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का कारणः-

दोनों अभियुक्तों से हुई पूछताछ पर जानकारी हुई है कि धीरज के मित्र अंकित गिरी की बहन से धीरज के प्रेम प्रसंग को लेकर उसकी हत्या किये जाने की जानकारी दी गयी है, जिसके लिये धीरज को अंकित गिरी व सोनू गिरी घर से दुलहैड़ी को दोपहर को बुला कर ले गये और जंगल में ले जाकर राजन के साथ उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी तत्पश्चात मौका पाकर उसके शव को शमशान में लेकर जला दिया जिससे की उसकी पहचान न हो सके और सबूत मिट जाये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सोनू गिरी पुत्र सुन्दर गिरी निवासी ग्राम रामपुर खेड़ी थाना कांधला जनपद शामली।
2. राजन पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम रामपुर खेड़ी थाना कांधला जनपद शामली।

नाम पता फरार अभियुक्तः-

1. अंकित गिरी पुत्र अंग्रेज गिरी निवासी ग्राम रामपुर खेड़ी थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कांधला जनपद शामली।
2. है0का0 सुन्दर सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 अंकित तोमर थाना कांधला जनपद शामली।
4. का0 रवीश हुड्डा थाना कांधला जनपद शामली।

Sports

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत दुकान में नकब लगाकर हुई चोरी की घटना में वांछित शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

आज दिनांक 01.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर जनेश्वर सैनी के ट्रांसपोर्ट कार्यालय के सामने से दुकान में नकब कर चोरी की घटना करने में वांछित एक शातिर चोर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 24/25.12.2020 की रात्रि वादी मुस्तकीम पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नानू जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली की इकबाल मार्केट सहारनपुर रोड पर स्थित समर इन्टरप्राइज दुकान की दीवार में नकब लगाकर अज्ञात चोर द्वारा दुकान में रखे सामान चोरी किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की थी। तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु थाना थानाभवन पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दिनांक 06.02.2021 को एक शातिर चोर काफिल उर्फ गोलू पुत्र वकील निवासी मौहल्ला बाबूपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा गिरफ्तार अभियुक्त के 01 फरार साथी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मोहसीन पुत्र रहीश निवासी कोटला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- चोरी का माल कार की बैट्री-01

2- बिजली तार के बंडल-02

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सचिन पुनियां थाना थानाभवन जनपद शामली।

2- का0 गगन पुनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।

3- का0 आशीष थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना कैराना</u>

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा आबकारी टीम शामली पर हमले में शामिल शराब माफियाओं के 02 वांछित सहयोगी गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 06.03.2021 आबकारी टीम शामली अजय सिंह के नेतृत्व मे थाना झिंझाना की बिडौली चैक पोस्ट पर शराब तस्करी की सूचना पर चैकिंग कर रही थी। तभी संदिग्ध पिकअप गाडी नं0 HR-67C-6498 करनाल की तरफ से आ रही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु चालक ने गाड़ी को तटबन्ध की ओर मोड़ दी, जिसका आबकारी टीम द्वारा पीछा करने पर पिकअप चालक ने शराब से भरी गाड़ी को ग्राम बसेड़ा में एक घेर में घुसा दी, जहां आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब माफियाओं को पकड़ने का प्रयास किया गया। परन्तु शराब माफियाओं व अन्य अज्ञात लोगों द्वारा आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें आबकारी विभाग के अजय सिंह घायल हो गये। घटना की सूचना पर थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर हमलावरों व गाड़ी की खोजबीन की गई। घायलों को चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में प्रभारी आबकारी निरीक्षक अजय सिंह की लिखित तहरीर पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 12.03.2021 को उक्त घटना मैं सम्मिलित 03 हमलावर सादा, नौशाद व अरशद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.04.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर शामली बस स्टैण्ड से उक्त घटना में वांछित दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1- असलम पुत्र नेकी निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

2- इरशाद पुत्र नेकी निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1- मु0अ0स0 125/21 धारा 34/147/148/323/332/353/307/427/504/ भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कैराना।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री कैलाश चन्द गौतम थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 आशीष कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 आर्य कोशिश थाना कैराना जनपद शामली।